

न्यामूर्ति मोहिंदर सिंह सुल्लर
 आर. पी. एस. एसोसिएशन,-याचिकाकर्ता
 बनाम
 ओम प्रकाश @हरि सिंह और अन्य,उत्तरदाता-
 सी. आर. सं. 2011 का 5845
 23 सितंबर, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 227-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O. 6 RI.17-पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887-Ss.119,120,121,122 और 123-वादी 3.3.2006 को यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि बिक्री विलेख के अनुसरण में उत्परिवर्तन अमान्य है-18.7.2006 को बनाए गए मुद्दे-प्रतिवादी लिखित बयान में संशोधन के लिए 11.3.2011 को आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया-आवेदन खारिज-पुनः अवलोकन के माध्यम से आदेश को चुनौती दि गई-अभिनिर्धारित-देरी की व्याख्या करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है-संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने लाइसेंस जारी होने के लगभग साढ़े चार साल बाद अपने लिखित कथन में संशोधन के लिए 11.3.2011 को आवेदन (अनुलग्नक पी5) दायर किया है। अभिलेख पर कोई ठोस स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन मुकदमे की शुरुआत से पहले क्यों दायर नहीं किया गया था, जो मुकदमे की शुरुआत/मुद्दों को तैयार करने के लगभग साढ़े चार साल बाद ही दायर किया गया था। आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान में कहा गया है कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था। इस प्रकार, इस

संबंध में कोई स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर सामने नहीं आ रहा है। इसलिए, लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन को कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 18)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि वैध निष्कर्षों वाले निचली अदालत के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विचार किए गए इस न्यायालय के सीमित पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कानूनी रूप से दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह विकृत और अधिकार क्षेत्र के बिना न हो।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता की ओर से संजीव बंसल, अधिवक्ता

आर. पी. एस. एसोसिएशन बनाम ओम प्रकाश @हरि सिंह 597
और अन्य (न्यामूर्ति महेंद्र सिंह सुलार)

न्यामूर्ति महेंद्र सिंह सुलार, (मौखिक)

(1) तत्काल पुनरीक्षण याचिका में शामिल और अभिलेख से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए जिन तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, वे ये हैं कि बालू सिंह के बेटे ओम प्रकाश उपनाम हरि सिंह और अन्य प्रतिवादी सं. 1 से 4-वादियों के (संक्षिप्तता के लिए "वादी") ने इस प्रभाव की घोषणा के आदेश के लिए मुकदमा (अनुलग्नक पी1) दायर किया कि 19.9.2005 दिनांकित बिक्री विलेख के अनुसरण में No.6494 दिनांकित 8.10.2005 वाला उत्परिवर्तन अमान्य है, जिसके परिणामी स्थायी/निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत याचिकाकर्ता मेसर्स R.P.S.Associates लिमिटेड और दुसरे प्रोफोर्मा प्रतिवादी सं. 5 से 10-प्रतिवादी सं. 2 से 7 (संक्षिप्तता के लिए "प्रतिवादी") अवैध उत्परिवर्तन के आधार पर किसी विशिष्ट भाग/खसरा संख्या को अपने कब्जे में लेने की या उस पर किसी भी निर्माण को तब तक खड़ा न करे जब तक कि इसे विधिवत विभाजित नहीं किया जाता है।

(2) वादी द्वारा स्थापित मामला, जहां तक प्रासंगिक है, संक्षेप में यह था कि वे विवादग्रस्त भूमि के सह-मालिक/सह-हिस्सेदार हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 7 ने मुकदमे में संयुक्त भूमि में से, बिना विभाजन के, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांकित 19.9.2005 बिक्री विलेख के आधार पर अपने-अपने शेयर बेच दिए हैं। विवादित भूमि की खसरा संख्या और आयामों को बिक्री विलेख में गलत तरीके से वर्णित किया गया था और उसके अनुसरण में एक अवैध उत्परिवर्तन दर्ज किया गया था, जो कि अमान्य है। यह आरोप लगाया गया कि कथित गलत उत्परिवर्तन की आड़ में, प्रतिवादी संख्या 1, मुकदमा भूमि में वादी-सहहिस्सेदारी के अधिकारों को विफल करने के लिए, अधिक क्षमता और मूल्य वाली, सामने की भूमि पर बिना किसी कानूनी अधिकार के, कब्जा करने का इरादा रखता है।

(3) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं के क्रम का वर्णन करते हुए, वादी के अनुसार कि विवादित भूमि सभी सह-मालिकों की संयुक्त संपत्ति है और वे इसके संयुक्त कब्जे में हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 7 ने बिना किसी विभाजन के प्रतिवादी संख्या 1 को अपने-अपने शेयर बेच दिए हैं और यह (प्रतिवादी संख्या 1) राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से किसी भी कानूनी आधार के बिना, विशिष्ट खसरा संख्याओं के अवैध रूप से उत्परिवर्तन और तातिमा को दर्ज/स्वीकृत कर लिया है, जो अवैध, अमान्य है और उनके (वादी) अधिकारों पर लागू नहीं होते। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमा घोषणा, स्थायी/

निषेधात्मक निषेधाज्ञा (अनुलग्नकपी 1) के लिए निम्नलिखित दर्शाए अनुसार दायर किया गया है।

(4) मुख्य प्रतिवादी नंबर 1 ने मुकदमा लड़ा और अपना लिखित जवाबदावा (अनुबंधपी 3) दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ प्रारंभिक आपत्तियां की, सूट की वैद्यता, एस्टोपेल, आवश्यक पक्षो पक्षकार ने बनाना, आनावश्यक पक्षों को बनाना मिस-जॉइंडर पक्षकार, कार्रवाई का समर्थ और वादी की लोक सस्टैंडी आदि। योग्यता के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने दलील दी कि उसके विक्रेताओं (प्रतिवादी नंबर 2 से 7) ने वाद सम्बंधित हिस्सों को बेच दिया है और खरीददार को

कब्ज़ा दे दिया बिक्री विलेख में यह स्पष्ट लिखित है कि सभी सह-हिस्सेदारों ने मौखिक रूप से भूमि का विभाजन किया है संबंधित शेयरों के पूर्णता कब्जे में है। प्रतिवादी नंबर 1 ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने अपने विशिष्ट भाग/किला संख्याओं को उसे विक्रय विलेख दिनांकित 19-9-2005 से बेच दिया है और इस सम्बंद में उत्प्रेवर्तन को सही रूप से स्वीकृत किया गया था। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वाद में निहित अन्य सभी आरोपों से इनकार किया है और मुकदमा खारिज करने की प्रार्थना की। इसी तरह, शेष प्रतिवादी नंबर 2 से 7 ने अपना अलग संयुक्त लिखित जवाब दावा (अनुबंधपी 4) प्रतिवादी नंबर 1 के लिखित बयान में निहित दलीलों का अनुसरण करते हुए दायर किया।

(5) अगली बात, वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नं. 1 ने लिखित बयान (अनुबंध पी 3) में संशोधन के लिए एक आवेदन (अनुबंधपी 5) सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 6 नियम 17 के तहत, इसलिए प्रारंभिक आपत्ति संख्या 7-ए को निम्नलिखित तरीके से जोड़ने के लिए दायर किया: -

"कि सूट जमीन और अन्य जमीन की खरीद के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने खेड़ी कलां और बसेवाला गांव में जिला फरीदाबाद एक ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए जारी किया जिसके अनुसार हरियाणा शहरी विकास और विनियम अधिनियम 1975 नियम 1976 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 एम एस आर एस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बी-14, ग्राउंडफ्लोर, चिराग एन्क्लेव ,नेहरू प्लेस के सामने, नई दिल्ली -48 वादभूमि और अन्यभूमि जिनका विवरण लाइसेंस के साथ सलंगन है गांव खेड़ीकलां और बसेवाला जिला फरीदाबाद में न्यू हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए जारी किया

आर. पी. एस. एसोसिएशन बनाम ओम प्रकाश @हरि सिंह 599
और अन्य (न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुलार)

लाइसेंस के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने साइट योजना के अनुसार समूह आवास कॉलोनी का निर्माण किया है और जिसके बारे में लाइसेंस दिया गया था। प्रति

अभियोक्ता संख्या 1 ने गाँव खीरी कलां और बासेलवा, फरीदाबाद में वाद भूमि और अन्य भूमि पर समूह आवास कॉलोनी की स्थापना के लिए एक बड़ी राशि खर्च की है और इन परिस्थितियों में, वादी निषेधाज्ञा की न्यायसंगत राहत पाने का हकदार नहीं है और इसलिए, वादी का मुकदमा कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।”

(6) वादियों ने प्रतिवादी संख्या 1 की प्रार्थना का खंडन किया और अपना जवाब (अनुलग्नक पी 6) दायर किया, अपने दावे को दोहराते हुए, जैसा कि शिकायत में अनुरोध किया गया था, लाइसेंस की वास्तविकता से इनकार किया, जो सं.1030 दिनांक 29.6.2006 (अनुलग्नक पी 2) है और कहा कि निदेशक, नगर और देश योजना के साथ हेर फेर के माध्यम से इस लाइसेंस को प्रतिवादी संख्या 1 को जारी कराया और इस लाइसेंस का मुख्य मुकदमे में शामिल वाद से कोई लेना-देना नहीं है। प्रस्तावित संशोधन को प्रामाणिक नहीं कहा गया था और यह उनके (वादी) मामले के लिए एक बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा। आवेदन के शेष कथनों (अनुलग्नक पी5) को अस्वीकार करने के बाद, वादी ने इसे खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(7) निचली निचली अदालत ने दिनांक 10.8.2011 (अनुलग्नक पी7) के विवादित आदेश के माध्यम से लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

(8) निचली अदालत के फैसले से व्यथित, याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों का आह्वान करते हुए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की, इस अदालत को यह सोचने के लिए मजदार में छोड़ दिया कि तत्काल याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए, गहराई से आग्रह किए गए और आमंत्रित किए गए इंगित विवाद के संबंध में निष्कर्ष को किस हद तक दर्ज किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसका पक्षकारों के बीच वास्तविक मुद्दे पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसे मुकदमे के दौरान निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जो भी हो, लेकिन न्याय के हित में, वर्तमान याचिका पर निर्णय लेते समय इस प्रासंगिक पक्ष में 'सुरक्षा बचत' के सिद्धांत को यथासंभव ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह, मैं इस मामले में उलझा हुआ हूँ।

(9) शुरू में ही, विवादित आदेश पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ तीव्रता के साथ तर्क दिया कि विवादित भूमि को मौखिक रूप से सहभागीदारों के बीच विभाजित कर लिया था।

600

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

याचिकाकर्ता ने समूह आवास कॉलोनी की स्थापना के उद्देश्य से सूचित बिक्री विलेख द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के हिस्सों की खरीद की है और इसके अनुसरण में विशिष्ट भाग/खसरा संख्या के उत्परिवर्तन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। तर्क में आगे कहा कि चूंकि लाइसेंस बहुत आवश्यक थी, इसलिए, निचली अदालत ने लिखित बयान के संशोधन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के आवेदन को खारिज करने में कानूनी गलती की है। दलीलों के समर्थन में, उन्होंने B.K.Narayana पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई और एक अन्य (1) और उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम किरण अप्पासो स्वामी और अन्य (2) मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा है।

(10) याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उसके बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड को देखने के बाद और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार में तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

(11) संभवतः पिल्लई और उषा बालासाहेब स्वामी के मामलों (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के सार के संबंध में कोई भी इस आशय से विवाद नहीं कर सकता है कि न्यायालय को अभिवचनों में संशोधन के लिए अनुरोध को मंजूरी देने में उदार होना चाहिए, यदि वह इस विचार है कि इस तरह का संशोधन पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो और संशोधन से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या अपूरणीय क्षति न हो! या संशोधन के लिए प्रार्थना प्रामाणिक नहीं थी। साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया गया कि "संशोधन का सभी परिस्थितियों में अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है"। लेकिन मेरे विचार में, यह तत्काल विवाद में याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आएगा।

(12) जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि वादी ने दावा किया कि विवादित भूमि सभी सह-मालिकों की संयुक्त भूमि है। इसका कभी विभाजन नहीं हुआ। प्रतिवादी Nos.2 से 7 ने बिक्री विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को अपने शेयर बेच दिए हैं, जिसके आधार पर, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध उत्परिवर्तन और विशिष्ट भाग/खसरा संख्या का ततीमा उसके पक्ष में दर्ज किया गया था। इसके विपरीत, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के अनुसार मुकदमा भूमि मौखिक रूप से विभाजित है और मुकदमाकारों के हिस्से अनुसार कब्जे में है।

(1) 2000 (1) एससीसी 712

(2) (2) 2007 (5) एससीसी 602

आर. पी. एस. एसोसिएशन बनाम ओम प्रकाश @हरि सिंह
और अन्य (न्यामूर्तिमहिंदर सिंह सुलार)

601

याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) ने अब हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियम अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत, प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, No.1030 दिनांक 29.6.2006 (अनुलग्नक P2) वाले लाइसेंस जारी करने के तथ्य को पेश करने की मांग की।

(13) अभिलेख पर उपरोक्त स्थिति में, मुख्य मुकदमे में निचली अदालत द्वारा निर्धारण के लिए एकमात्र छोटा और अहम सवाल, हालांकि महत्वपूर्ण है, यह होगा कि क्या वाद भूमि एक संयुक्त भूमि है जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया या इसे बिक्री से पहले मौखिक रूप से विभाजित किया गया था, जैसा कि प्रतिद्वंद्वियों की ओर से आग्रह किया गया था?

(14) यह विवाद का विषय नहीं है कि मुकदमा भूमि एक कृषि भूमि थी और इसे केवल पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (इसके बाद "अधिनियम"के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अध्याय IX के प्रावधानों के तहत विभाजित किया जा सकता है। तर्क के लिए यह मानते हुए कि यदि पक्षों ने मौखिक रूप से भूमि का

विभाजन किया है (हालांकि स्वीकार नहीं किया गया है), तब भी, ऐसे विभाजन की सूचना राजस्व अधिकारी को दी जानी चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 123 के तहत कहा गया है, जिसमें कहा है कि "किसी भी मामले में जिसमें राजस्व अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना विभाजन किया गया है, और उसका पक्ष विभाजन की पुष्टि करने वाले आदेश के लिए राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकता है और आवेदन प्राप्त करने पर, राजस्व अधिकारी मामले की जांच करेगा, और यदि उसे पता चलता है कि विभाजन वास्तव में किया गया है, तो वह धारा 119,120,121 और 122 या उन धाराओं के तहत जैसा परिस्थितियों में आवश्यक हो" इसकी पुष्टि करने का आदेश दे सकता है।

(15) बिक्री विलेख और उत्परिवर्तन (बिना किसी कानूनी विभाजन के) में केवल विपरीत पाठन, इस संबंध में पर्याप्त नहीं है। जब तक कृषि भूमि को अधिनियम के अध्याय IX के तहत कानूनी रूप से विभाजित नहीं किया जाता है, तब तक इसे एक संयुक्त संपत्ति माना जाएगा और यदि सह-हिस्सेदार अपने विशिष्ट हिस्से/खसरा नंबर बेचते हैं, तब भी, कानूनी रूप से, भूमि को पक्षों के बीच संयुक्त माना जाएगा, ऐसी बिक्री संयुक्त भूमि में हिस्सेदारी की बिक्री होगी और प्रत्येक सह-हिस्सेदार का पूरी संपत्ति और उसके प्रत्येक हिस्से में हित होगा। कानून की नजर में एक सह-मालिक द्वारा संयुक्त संपत्ति का कब्जा सभी का कब्जा होगा, भले ही एक को छोड़कर सभी वास्तव में कब्जे से बाहर हों।

602

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

(16) इसका अर्थ यह है कि क्या विवादग्रस्त भूमि संयुक्त थी या बिक्री से पहले मौखिक रूप से विभाजित की गई थी, यह एक विवादास्पद मुद्दा होगा, जिसका निर्णय निचली अदालत द्वारा किया जाएगा। यदि यह अभिलेख पर साबित हो जाता है कि वाद भूमि का कभी भी कानूनी रूप से विभाजन नहीं किया गया था, तो प्रतिवादी संख्या 1 के मुकदमा में बिक्री, संयुक्त भूमि में हिस्सेदारी की बिक्री होगी, इस तथ्य के बावजूद कि बिक्री विलेख या उत्परिवर्तन में विशिष्ट भाग/खसरा संख्या का उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत, यदि यह अन्यथा साबित हो जाता है कि वाद में भूमि बिक्री से पहले ही विभाजित थी, तो स्वाभाविक रूप से, वादी विफल हो

जाएंगे। उस स्थिति में, नगर और देश योजना विभाग द्वारा समूह आवास कॉलोनी स्थापित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को 29.6.2006 पर लाइसेंस (अनुलग्नक P2) जारी करना पराया/विदेशी है और पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को तय करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के संशोधित प्रावधानों के तहत पक्षकारों के बीच वास्तविक मुद्दे को निर्धारित करने के उद्देश्य से केवल उसी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, जो आवश्यक हो और अन्यथा नहीं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, चूंकि प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच वास्तविक बिंदु तय करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इसे कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 "कठोर अर्थों में" के लिए विद्वान अधिवक्ता के विपरीत तर्क वर्तमान परिस्थितियों में खारिज होने के योग्य हैं और खारिज किए जाते हैं।

(17) इसी तरह, मामले का एक और पहलू है, जिसे एक अलग कोण से देखा जा सकता है। यहाँ जो बात विवादित नहीं है वह यह है कि वादी ने 3.3.2006 (अनुलग्नक P1) के सं. 139 का दीवानी मुकदमा दायर किया। लाइसेंस (अनुलग्नक पी2) 29.6.2006 पर जारी किया गया था। इस मामले में मुद्दे 18.7.2006 पर तैयार किए गए थे। इसका मतलब है कि इसे 18.7.2006 (संशोधन के आधार के पैरा 5 में उल्लिखित) पर सुनवाई/मुद्दों को तैयार करने की शुरुआत से पहले लाइसेंस जारी किया गया था।

(18) पुनः यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने लाइसेंस जारी होने के लगभग साढ़े चार साल बाद अपने लिखित कथन में संशोधन के लिए 11.3.2011 को आवेदन (अनुलग्नक पी5) दायर किया है। अभिलेख पर कोई ठोस स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन मुकदमे की शुरुआत से पहले क्यों दायर नहीं किया गया था, जो मुकदमे की शुरुआत/मुद्दों को तैयार करने के लगभग साढ़े चार साल बाद ही दायर किया गया था। आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान में कहा गया है कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

अतः इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण अभिलिखित नहीं किया गया है। इसलिए लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(19) इस तरह, चूंकि न तो याचिकाकर्ता ने न तो सुनवाई शुरू होने से पहले / मुद्दों का निर्धारण, सुनवाई से पहले लिखित बयान संशोधन के लिए आवेदन दायर किया और न ही न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम है कि बावजूद परिश्रम, वह सुनवाई शुरू होने से पहले इस मुद्दे को नहीं उठा सकता था, न ही यह मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक है, इसलिए, प्रस्तावित संशोधन आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अनुसार और माननीय उच्चतम न्यायालय से राजकुमार गुरावरा बनाम M/S एस के सरावगी और कंपनी लिमिटेड और अन्य में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती (3).

(20) इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट एक सही निर्णय पर पहुंच गया है, जो सही आधार पर किया है याचिकाकर्ता के दावे को सही तरीके से खारिज कर दिया गया (हालांकि सही शब्द से नहीं) इस प्रासंगिक दिशा में आक्षेपित आदेश। इस तरह के आदेश, जिसमें वैध निष्कर्ष हैं इस न्यायालय के सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग और जैसा कि कानूनी रूप से वर निरंकार नहीं किया जा सकता है, को, इसमें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विचाराधीन है, जब तक कि यह विकृत न हो और अधिकार क्षेत्र के बिना हो। चूंकि ऐसी कोई पेटेंट अवैधता या कानूनी दुर्बलता याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इंगित नहीं किया गया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश/निष्कर्ष (अनुबंध P3) बनाये रखने योग्य है और मामले की प्राप्त परिस्थितियों में बनाए रखा जाता है।

(21) कोई अन्य कानूनी बिंदु, विचार करने योग्य, याचिकाकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) के वकील द्वारा आग्रह नहीं किया न दबाव डाला गया।

(22) उपरोक्त कारणों के आलोक में और योग्यता के आधार पर बिना टिप्पणी किए, ऐसा न हो कि यह दोनों पक्षों के मामले को पूर्वाग्रह कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, तत्काल याचिका एतद्वारा है इस तरह खारिज कर दिया है।

(23) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां कुछ भी दर्ज किसी भी तरीके से, मामले के गुण-दोष पर प्रभाव डालेगा, जैसा कि इस पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के सीमित प्रयोजन के संदर्भ के लिए ऐसा किया गया है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

(3) 2009(1) सिविलसीसी001(एससी)

(23)

समर्थ(समर्थ1समर्थ9समर्थ)समर्थ समर्थ

बनाम

आदेश(आदेश आदेश2आदेश0आदेश)आदेश आदेशअधिकार क्षेत्रयाचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ता2याचिकाकर्ता1याचिकाकर्ता)याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता(22)

(23)

(3) 2009 (1)